

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग ।

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,

प्रधान सचिव ।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन

जल संसाधन विभाग, मोतिहारी/ सिवान/ सहरसा/ दरभंगा/ गया/ बिहारशरीफ/ औरंगाबाद/
डिहरी/ भागलपुर ।

दिनांक- 18.06.2018

विषय:- खरीफ सिंचाई अनुदेश 2018

महाशय,

खरीफ सिंचाई अभियान 2018 को सफल एवं प्रभावकारी बनाने हेतु सिंचाई के सभी श्रोतों से उपलब्ध जल को वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध तरीके से जल प्रबंधन कर खरीफ सिंचाई में वृद्धि हेतु समुचित उपयोग करना आवश्यक है ।

1. इस वर्ष विभाग की वृहद् सिंचाई परियोजनाओं से 21.08 लाख हेक्टर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है । खरीफ सिंचाई 2018 के लिए मुख्य अभियंताओं के परिक्षेत्राधीन परियोजनावार/नहरवार लक्ष्य की विवरणी संलग्न है । खरीफ के इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं:-

(i) नहरों में सिंचाई के लिये उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग करते हुए अन्तर विभागीय समन्वय द्वारा खरीफ सिंचाई 2018 का अभियान प्रभावकारी बनाया जाय, ताकि लक्ष्य के अनुरूप सिंचाई एवं सूदकार हो सके ।

(ii) खरीफ सिंचाई 2018 के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता अपने स्तर पर पूर्व की भाँति एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे तथा नहर प्रणालियों से दी जानेवाली सिंचाई का गहन प्रबोधन करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि सिंचाई एवं नहरों में पानी की उपलब्धता से संबंधित सूचना/प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे एवं साप्ताहिक सिंचाई उपलब्धि प्रतिवेदन (साप्ताहिक शुकवार) विहित प्रपत्र में नियमित रूप से सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल को प्राप्त हो जाय ।

(iii) खरीफ सिंचाई 2018 के लिए निर्धारित लक्ष्य को मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता अपने अधीनस्थ कनीय अभियंता स्तर तक के पदाधिकारियों के बीच प्रमंडलवार/जिलावार वितरित करेंगे तथा इसकी सूचना विभाग, संबंधित जिला पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी एवं कमांड क्षेत्र विकास अभिकरण को भी देंगे ।

(iv) नहरों के संचालन हेतु विभागीय पत्रांक यो०मो०-4 कार्य 10-1400/2001-220, दिनांक-12-4-2004 एवं सिंचाई कोषांग के पत्रांक सि०को० 36/04-290 दिनांक 17-5-2004 के द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । नहरों के अंतिम छोर तक जल का वितरण समरूप अनुपात में होना चाहिये, जिसके लिए क्षेत्रीय सिंचाई के प्रभारी अभियंता, मुख्य नहर के नियमन तथा नियंत्रण का भार स्वयं लेंगे । जहाँ तातील प्रथा लागू नहीं है एवं जहाँ मनमाना अधिक पानी की शिकायतें हैं, वहाँ विशेष ध्यान देंगे तथा जहाँ पानी की कमी है वहाँ तातील प्रथा लागू कर पानी छोड़ने की व्यवस्था करेंगे ।

(v) संबंधित कार्यपालक अभियंता स्थल भ्रमण करेंगे ताकि नहरों के अन्तिम छोर के किसानों को कोई कठिनाई न हो एवं विभाग को अनावश्यक आलोचना का कारण न बनना पड़े । अतः सभी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया जाता है कि स्थल भ्रमण कर नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे ।

(vi) अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, नहरों/वितरणियों/उपवितरणियों का प्रतिदिन नियमित रूप से प्रबोधन करेंगे एवं इसका प्रतिवेदन सिंचाई मोनिटरिंग अंचल, पटना को उपलब्ध करायेंगे ।

(vii) शीर्ष/त्रियक नियामक एवं विभिन्न शाखा नहरों में प्रवाहित जलश्राव का गहन प्रबोधन मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता स्तर पर की जायेगी । जलश्राव में यदि कोई कमी हो तो इसके सुधार हेतु अविलम्ब आवश्यक व्यवस्था करेंगे तथा की गयी कार्रवाई की सूचना अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला परिषद् को उपलब्ध करायेंगे ।


(viii) सिंचाई के प्रत्येक प्रशाखा एवं अनुमंडल का ग्रामीण नक्शे पर अंकित कमांड मैप होना चाहिये। कनीय अभियंता का दायित्व होगा कि वे अपने कार्य क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सिंचाई की उपलब्धि सुनिश्चित करेंगे तथा इसका भी लेखा रखेंगे कि किस क्षेत्र में किस कारण से सिंचाई में कमी हुई । सिंचाई में कमी का सत्यापन सहायक अभियंता करेंगे तथा सुझाव के साथ प्रस्ताव देंगे ।

(ix) उपलब्ध पानी में कमी के कारण, इसके सही एवं समान वितरण के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता प्रथम उत्तरदायी समझे जायेंगे ।

(2) खरीफ सिंचाई अभियान को सफल बनाना हमारा पुनीत कर्तव्य है । प्रत्येक पदाधिकारी जो सिंचाई कार्य में संलग्न है, उनका प्रयास होगा कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धि/सूदकार हो । जिनके कार्य क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक सूदकार होगा वे प्रशस्ति पत्र के अधिकारी होंगे तथा जिनके क्षेत्र में बिना यथेष्ट कारण के लक्ष्य से कम उपलब्धि/सूदकार होगा उनकी चारित्र्य मे प्रतिकूल अभियुक्ति दर्ज की जायेगी ।

अनु०- खरीफ सिंचाई लक्ष्य 2018

विश्वासभाजन


(अरुण कुमार सिंह)


प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 284

पटना, दिनांक:- 18.06.2018

प्रतिलिपि- अनुलग्नक की प्रति के साथ माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, कृषि विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/ आयुक्त, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बिहार/ कृषि विकास आयुक्त/ सभी अध्यक्ष कमांड क्षेत्र विकास अभिकरण/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना/ सभी अधीक्षण अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना/ सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


अनु०:- खरीफ सिंचाई लक्ष्य-2017


(अरुण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 284

पटना, दिनांक- 18.6.2018

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(अरूण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
खरीफ सिंचाई 2018 का निर्धारित लक्ष्य

(आंकड़ा हे० में)

मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्र	नहर प्रणाली	सी०सी०ए०	खरीफ 2018 हेतु प्रभावी सी०सी०ए०	विगत वर्ष 2017 का लक्ष्य	विगत वर्ष 2017 की उपलब्धि	वर्तमान वर्ष 2018 के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य	वर्तमान वर्ष 2018 का विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	प्रतिशत लक्ष्य (प्रभावी सी.सी. के विरुद्ध)	अभ्युक्ति
डिहरी	सोन नहर प्रणाली (पुरानी)	483401	483401	414877	374407	373187	376490	77.88	
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	59017	59017	50998	50599	50599	50998	86.41	
	मध्यम सिंचाई योजना	72941	70955	52759	54095	53415	53415	75.28	
	कुल	615359	613373	518634	479101	477201	480903	78.40	
नालंदा	मध्यम सिंचाई योजना	151483	151483	108086	116277	119091	120973	79.86	
गया	मध्यम सिंचाई योजना	57797	54678	39819	34135	35802	36122	66.06	Total CCA not developed
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	24208	3595	16974	3580	3580	3580	99.58	
	कुल	82005	58273	56793	37715	39382	39702	68.13	
औरंगाबाद	उत्तर कोयल नहर प्रणाली	73586	63474	57045	54002	54812	56639	89.23	
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	54227	54227	47365	47365	47355	47355	87.33	
	पटना मुख्य नहर	77601	77601	74473	74472	74632	74656	96.20	
	मध्यम सिंचाई योजना	16156	12246	10458	9372	9097	10283	83.97	
	कुल	221570	207548	189341	185211	185896	188933	91.03	
सहरसा	पूर्वी कोशी नहर प्रणाली	594730	594730	453669	342443	381077	427687	71.91	
दरभंगा	पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली	203300	110977	77239	54235	56990	57489	51.80	Canals under construction and total CCA not developed.
	कमला सिंचाई योजना (त्रिशुला, किंग्स केनाल एवं मुनहरा सिंचाई सहित)	36606	36068	23365	20600	24128	24543	68.05	
	कुल	239906	147045	100604	74835	81118	82032	55.79	
मोतीहारी	पूर्वी गंडक नहर प्रणाली	571665	480665	358914	343071	356505	359905	74.88	Total CCA not developed
सिवान	पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली	366577	320000	253050	197192	204249	220615	68.94	
	कुल(गंडक परियोजना):-	938242	800665	611964	540263	560754	580520	72.50	
भागलपुर	चंदन जलाशय योजना	69312	69312	57322	52834	56429	58014	83.70	
	बदुआ जलाशय योजना	36664	36664	37148	36339	36039	36039	98.30	
	अन्य योजना (मध्यम सिंचाई यो० सहित)	116025	95258	93454	88498	87951	93236	97.88	
	कुल(भागलपुर परिक्षेत्र):-	222001	201234	187924	177671	180419	187289	93.07	
	कुलयोग	3065296	2774351	2227015	1953516	2024938	2108039	75.98	